

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता मे. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड द्वारा धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमण्डल में आरक्षित वन रकबा 5.096 हे. एवं संरक्षित 48.318 हे., ऑरेंज वन क्षेत्र रकबा 16.242 हे., राजस्व वन क्षेत्र रकबा 87.379 हे. कुल 157.035 हेक्ट. उरगा से धरमजयगढ़ रेलवे लाईन निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 20.01.2022 को किया गया है।

प्रभावित वनक्षेत्र में तेन्दुआ, भालू तथा अन्य वन्यप्राणी विचरण हेतु रेलवे लाईन के चिन्हित आवागमन स्थानों में अंडर/ओवर पासेस निर्माण करना प्रस्तावित है। प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यप्राणी को प्रेषित किया जायेगा।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुसंशित।

दिनांक - 25/01/2022

(नवीद शुजाउद्दीन) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर